

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 15/परीक्षा/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II/माध्यमिक शिक्षा/RPSC/EP-I/2023-24

दिनांक: 14.02.2024

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II (Librarian Grade-II) के कुल 300 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.				
	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	
NON SA-252	85	24	9	0	30	4	0	0	24	1	0	0	37	8	1	0	8	0	0	0	20	1	0	0	
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. (Gen./UR-11, SC-1, ST-0, OBC-1, MBC-0, EWS-0) 2- (i) LV-9, (ii) D., H.H.-4, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis. - 0																									
सहरिया 3	GEN.-3,	WE-0,WD-0,DV-0																							
SA-45	18	5	1	0	2	0	0	0	14	4	1	0													
Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. (Gen./UR-2, SC-0, ST-2), 2- (i) LV-2, (ii) D., H.H.-1, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis. - 0																									

**Abbreviations Used:** GEN – General, U.R. - Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual Disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped.

(iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

**विशेष नोट :-**

अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

**टिप्पणी:-** एकाधिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपर्युक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

- नोट :-**
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अतिं पिछड़े वर्गों के पात्र की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोगजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी आपका आवेदन करने वाले आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित आरक्षित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्यतः अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी।
  - राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
  - किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपर्युक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर्र-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपर्युक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को प्रधानतः अप्रवर्ग समान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोठे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
  - विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
  - राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षेत्रिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपर्युक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपर्युक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोठे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
  - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्त उपर्युक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निधारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर्रपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अर्थात् पिछड़ा वर्ग, सेमिलिट होता है आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ॲनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
  - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

## अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :

- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with degree or diploma in Library Science recognized by the National Council of Teacher Education/Government.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthani culture.

**Note:** 1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ॲनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग पे-वैदेंड	पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दशाये आयोजित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया

अधिकतम आयु में देय छूट

1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widows and divorced Women	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
	<b>Explanation :-</b> In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of a divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बाबत की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for the persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपरिषित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिषित के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.	
11.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुमत अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years to Ex-servicemen; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अन्यथियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
12.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	

**नोट :-** विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेगे।

#### नोट -

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यथियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

#### अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अन्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपर्युक्त व्यवस्थित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम के नियम 22 की अनुसूची- III के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त अनुसूची में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक् से जारी किया जायेगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 20.02.2024 से दिनांक 20.03.2024 तक 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpse.rajasthan.gov.in">https://rpse.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अन्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।</li> <li>ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpse.rajasthan.gov.in">https://rpse.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को</li> </ol>

- Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेप्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।**
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।
  4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेप्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें।
  5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
  6. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
  7. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन—लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथा छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
  8. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
  9. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।
  10. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  11. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें क्योंकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।
  12. अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
  13. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में धूंधली (blurred) स्कैण्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 05 रंगीन फोटो प्रतियाँ सुरक्षित रखें।

**ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-** - ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाएं गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के दिशा—निर्देशानुसार कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
3. **One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन सम्भव नहीं होगा।**
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अंतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।

**एकबारीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-**

1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी – रुपये 600/-
2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सहरिया क्षेत्र) के अभ्यर्थी – रुपये 400/-
3. दिव्यांगजन – रुपये 400/-

**नोट :-**

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आई.डी. द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवावें।

#### Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Librarian Grade-II :-

The Examination shall carry 400 marks. There will be two papers. Both Papers shall be of 200 marks each.

#### PAPER - I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2:00 Hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान निःशक्तजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

6. Paper shall include following subjects:-

- (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
- (ii) Current Affairs of Rajasthan
- (iii) General knowledge of world and India
- (iv) Educational Psychology.

#### Paper-II : Knowledge Organization, Informative Processing and Retrieval.

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2:00 Hours.
3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.



**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  
राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान निःशक्तजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णिकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

6. Paper shall include following subjects:-

- (i) Universe of knowledge, Structure and Attributes, Modes of formation of subjects, Different types of subjects, Universe of subjects as mapped in different schemes of Classification.  
(ii) Bibliographic description. Catalog purpose, structure and types physical forms including OPAC filling rules. Normative principles of cataloging. Overview of principles of practice in document description. Current trends in standardization, description and exchange. Standard code of cataloging.  
(iii) Methods of knowledge organization. General theory of Library classification. Normative principles of classification and their applications. Species of Library classification. Standard schemes of classification and their features, CC, DDC, UDC.  
**Notation :** need, functions, characteristics. Design and development of schemes library classification, standard sub-division index. Trends in Library classification.  
(iv) Subject Classification, Principles of subject classification. Subject heading lists and their features.

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशः-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अन्यथा Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई.डी. अकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अकित मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अन्यथा की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. अन्यथा यथासम्बन्धी नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. अन्यथा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई—मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अन्यथा का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह ही हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई—मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक रख्यं ई—मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई—मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़ कि किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्यथा के विरुद्ध कार्यवाही
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधाया/विचित्रित विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग का स्पष्ट रूप से नहीं किया जाएगा और ऐसे अन्यथा को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अन्यथा/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अन्यथा का ऑनलाईन आवेदन—पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जाएगी/जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की
7. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन—पत्र दो प्रतियों में करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयोग शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यथा Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से नहीं किया जाएगा और ऐसे अन्यथा को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र भरा है तो उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए) यथा समय होगी।
8. यदि कोई अन्यथा निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अन्यथा उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अन्यथा रद्द कर दी जायेगी।
9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में परित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधाया/परित्यक्ता/विवाह विचित्रित/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधाया/विचित्रित विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात् कोई अन्यथा आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधाया हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण—पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण यदि अन्यथा की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की
11. विचित्रित विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अन्यथा को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विचित्रित आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लिखित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पूर्व पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विचित्रित/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
12. विचित्रित विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधाया महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधाया के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं



अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण—पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
15. परीक्षाधियों को ई—प्रवेश—पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया:-

- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता—Both Arms) एवं सेरेब्रल पल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता प्रमाण—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी।
- श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये योग्य दिव्यांगजन अभ्यर्थी स्वयं को श्रुतलेखक ला सकता है या केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु परीक्षा दिनांक से 02 दिवस पूर्व अनुरोध कर सकता है।
- उक्त अधिनियम के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम 02 दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा।
- श्रुतलेखक से संबंधित विस्तृत निर्देश एवं प्रमाण—पत्रों का अवलोकन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा—निर्देशों के अंतर्गत करें।

18. प्रश्न—पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विशेष विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद—विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
19. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
20. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अमद्द व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवरित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
21. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

#### प्रमाण—पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधावा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हैं। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-


1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण—पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण—पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण—पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण—पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण—पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ग के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण—पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पिता का मूल्य प्रमाण—पत्र एवं पिता के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (थथा—राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पिता के नाम से मूल निवास पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जधपुर में DBSA No. 72/2022 के नियमानुसार) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान — कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व व्याप्ति हो जाती/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथित कर सकता है और वास्तविक सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर—भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की विवरिति जारी की जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दिनांक निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन की तारीख—वार व्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वर्चनवधि देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्क/संविधा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।
9. शासन के परिपत्र क्रमांक P.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन

- कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चे/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से किंतु किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसे विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपर्युक्त किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
  11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
  14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
  15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
  16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**आवेदन—पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन—पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश:-**

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थीयों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन—पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन—पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी प्रार्थना—पत्र/पत्र/पत्र—व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात अस्थाई ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र पर विचार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।


**अन्य बिन्दु व सूचना :-** एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थीयों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हैं। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय—समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajanathan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में रिथत स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.—0145—2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार संचय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

  
**(रामनिवास मेहता)**  
 सचिव

क्रमांक: प.8-A(20)Exam/Lib. Gr-II/RPSC/EP-I/2023-24/204

दिनांक : 14.02.2024

प्रतिलिपि:- निवेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निवेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत वि.सं.15/परीक्षा/पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड—II/माध्यमिक शिक्षा/RPSC/EP-I/2023-24 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार संशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।

  
**विशेषाधिकारी**